24.3.2020 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक अब्दुल रज्जाक पिता जहरूली मियाँ साकिन इरगोबाद थाना - जयनगर का कहना है कि मौजा इरगोबाद खाता सं० 14 रकवा 3.29 एकड़ भूमि उनके चाचा जहीम मियां वगैरह पिता स्व० बालो मियां के नाम से केवाला है किन्तु मिन्हाज अंसारी पिता स्व. सरीफ मियाँ ने अपने ताकत से गलत ढंग से अपनी माँ आमना खातुन के नाम से कब्जा जमा लिया है। अत: उन्हें उनके हिस्सा की जमीन दिलाया जाय।

मिन्हाज अंसारी पिता स्व. सरीफ मियां सा० इरगोबाद थाना जयनगर ने केवाला की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति जमा करते हुए खारिज करने का अनुरोध किया है और इसका कहना है कि उक्त भूमि केवाला सं० 150 दिनांक 07.1.1987 के द्वारा उसकी माँ बीबी आमना खातुन को हासिल है और जिसका दाखिल खारिज होकर लगान रसीद भी निर्गत है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के जहीम मियां पिता बालो मियां के नाम से 4672 दिनांक 12.6.52 मौजा इरगोबाद खाता सं० 14 रकवा 5.17 एकड़ की जमाबंदी पंजी II में दर्ज नहीं है। जबकि केवाला सं० 150 दिनांक 07.1.1987 के द्वारा खाता सं० 14 प्लॉट सं० 10,134,163,335,480,533 वगैरह कुल रकबा 3.29 $\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि की जमाबंदी बीबी आमना खातुन पति सरीफ मियां के नाम से पंजी II के पृष्ठ सं० 87/3 पर दर्ज है और

माल वर्ष 2015-16 तक वसूल है।

उभय पक्षों को सुनने, राजस्व कागजातों एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा इरगोबाद खाता सं॰ 14 कुल रकबा 3.29$\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि की जमाबंदी ~~आम~~ दाखिल खारिज होकर बीबी आमना खातुन पति सरीफ मियाँ के नाम से पंजी II के पृष्ठ सं॰ 87/3 पर दर्ज है और लगान रसीद भी निर्गत है। अतः आवेदक अब्दुल रज्जाक पिता जहदली मियाँ ग्राम इरगोबाद थाना जयनगर का आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

[signature]
24.3.2020
अंचल अधिकारी,
जयनगर।